

विक्रान्त विश्वविद्यालय, अधिनियम

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2022—आश्विन 25, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्र. 15668-261-इक्कीस-अ. (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०२२

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२२

[दिनांक १७ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १७ अक्टूबर, २०२२ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

अनुसूची संशोधन.

का

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ४० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
४१	प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, इन्दौर	प्रेस्टीज एज्युकेशन फाउन्डेशन, इन्दौर	कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी	प्रेस्टीज विश्वविद्यालय ग्राम- रिंगनोदिया, इन्दौर-उज्जैन स्टेट हाइवे, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४२	शुभम् विश्वविद्यालय, भोपाल	साईनाथ एज्युकेशनल ट्रस्ट, आगरा (उ.प्र.)	भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	शुभम् विश्वविद्यालय, सेमरा सैयद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४३	डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी	लक्ष्मण सेठ एज्युकेशन फाउन्डेशन, झांसी (उ.प्र.)	कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी	डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम-दिनारा, तहसील-करेरा, जिला-शिवपुरी	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४४	एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर	श्री आस्था फाउन्डेशन फॉर एज्युकेशन सोसाइटी, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	एल.एन.सी.टी. केम्पस, ग्राम-कनाड़िया, कनाड़िया रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४५	अमलतास विश्वविद्यालय, देवास	अमलतास एज्युकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	अमलतास विश्वविद्यालय, देवास, देवास-उज्जैन स्टेट हाइवे, वांगर, जिला देवास	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
४६	आर्यावर्त विश्वविद्यालय, सीहोर	ए.पी.एस. शिक्षा प्रसार समिति, छतरपुर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	आर्यावर्त विश्वविद्यालय, नेशनल हाइवे-४६, ग्राम झारखेडा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४७	विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर	विक्रांत एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, ग्वालियर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्राम-रतवई, चितोरा रोड, बड़ा गांव, मुरार, ग्वालियर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४८	ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, सागर	ज्ञानवीर सेवा समिति, सागर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, ग्राम मारा इमलिया, पी.एच.-२०, खण्ड राहतगढ़, जिला सागर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश."

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक २ सन् २०२२) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्र. 15668-261-इक्कीस-अ. (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2022 (क्रमांक 25 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 25 OF 2022

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 17th October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 17th October, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-third year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2022.

Amendment of Schedule.

2 In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 40 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

S.No.	Name of private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.	Prestige University, Indore.	Prestige Education Foundation, Indore.	Company registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013).	Prestige University, Gram-Ringnodia, Indore-Ujjain State Highway, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.
42.	Shubham University, Bhopal.	Sainath Educational Trust, Agra (U.P.).	Public Trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (No. 2 of 1882).	Shubham University, Semra Saiyad, Tehsil-Huzur, District Bhopal.	Whole of Madhya Pradesh.
43.	Dr. Preeti Global University, Shivpuri.	Laxman Seth Education Foundation, Jhansi (U.P.).	Company registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956).	Dr.Preeti Global University, Gram-Dinara, Tehsil-Karera, District Shivpuri.	Whole of Madhya Pradesh.
44.	LNCT Vidhyapeeth University, Indore.	Shri Astha Foundation for Education Society, Indore.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	LNCT Campus, Village-Kanadiya, Kanadiya Road, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.
45.	Amaltas University, Dewas.	Amaltas Educational Welfare Society, Indore.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Amaltas University, Dewas, Dewas-Ujjain State Highway, Bangar, District Dewas.	Whole of Madhya Pradesh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.	Aryavart University, Sehore.	APS Shiksha Prasar Samiti, Chhatarpur.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Aryavart University, National Highway-46, Village Jharkheda, Tehsil Shyampur, District Sehore.	Whole of Madhya Pradesh.
47.	Vikrant University, Gwalior.	Vikrant Educational and Social Welfare Society, Gwalior.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Vikrant University, Gram Ratwai, Chhitara Road, Badagaon, Morar, Gwalior.	Whole of Madhya Pradesh.
48.	Gyanveer University, Sagar.	Gyanveer Seva Samiti, Sagar.	Registered Society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Gyanveer University Village Mara Emliya, Ph-20, Block Rahatgarh, District Sagar.	Whole of Madhya Pradesh."

3.(1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhyadesh, 2022 (No. 2 of 2022) is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.